शासनादेश संख्या-जी0आई0-156/1-11-2004-46/96,दिनांक 01 मार्च, 2005 का संलग्नक

दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को सी0आर0एफ0 तथा एन0सी0सी0एफ0 से प्रदान की जाने वाली सहायता हेतु निर्धारित दरें एवं मदों की सूची।

क्र0सं0	मद	सी0आर0एफ0 एवं एन0सी0सी0 एफ0 से प्रदान की जाने वाली सहायता की दरें
1	2	3
1	अहैतुक सहायता	
(अ)	मृतकों के परिवार को देय अनुग्रह सहायता	रू0 50,000/-प्रति मृतक
(ब)	किसी अंग या आंख के बेकार हो जाने पर	रू0 25,000/- प्रति व्यक्ति(यह सहायता तभी अनुमन्य है जब अंग की अपंगता 40 प्रतिशत से अधिक हो तथा यह शासकीय चिकित्साधिकारी या शासन द्वारा अधिकृत चिकित्साधिकारी के पैनल द्वारा प्रमाणित हो ।)
(स)	गंभीर चोट जिसके कारण एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में रूकने की आवश्यकता हो।	रू0 5,000/- प्रति व्यक्ति।
(द)	वृद्ध, अक्षम तथा निराश्रित एवं बच्चों को सहायता	प्रति व्यस्यक रू0 20/- तथा प्रति बच्चा रू0 10/- प्रतिदिन।
(य)	जिन परिवारों के मकान बह गये/पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गये,उन्हें बर्तन तथा कपड़े के रूप में सहायता	प्रति परिवार रू0 500/- कपड़े हेतु तथा रू0 500/- वर्तन हेतु ।
(र)	आपदा के बाद तात्कालिक जीवन निर्वाह हेतु जरूरतमंद परिवारों के लिए अहैतुक सहायता। यह सहायता केवल उन्हीं को दी जाएगी जिनके समक्ष आपदा के कारण भोजन की समस्या उत्पन्न हो गयी हो और जिनके पास जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक संसाधन न हों।	प्रति व्यस्यक रू0 20/- और प्रति बच्चा रू0 10/-प्रति दिन, केवल वस्तुओं में (आवश्यक सामग्रियां जैसे-आंटा, खाद्यान्न, मिट्टी का तेल, सब्जियां, माचिस, नमक, खाद्य तेल आदि) अधिकतम 2 सप्ताह तक अथवा जैसी केन्द्रीय दल की संस्तुति हो।
2	अतिरिक्त पुष्टाहार	आई0सी0डी0एस0 के मानक के अनुसार रू0 1.05 प्रतिदिन प्रति इकाई।
3	लघु तथा सीमांत कृषकों को सहायता	
(अ)	डिसिल्टिंग आदि	नाबार्ड पैर्टन पर लघु तथा सीमान्त कृषकों को

<u>शासनादेश संख्या-जी0आई0-156/1-11-2004-46/96,दिनांक 01 मार्च, 2005 का संलग्नक</u>

दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को सी0आर0एफ0 तथा एन0सी0सी0एफ0 से प्रदान की जाने वाली सहायता हेतु निर्धारित दरें एवं मदों की सूची।

क्र0सं0	मद	सी0आर0एफ0 एवं एन0सी0सी0 एफ0 से प्रदान की जाने वाली सहायता की दरें
1	2	3
1	अहैतुक सहायता	
(अ)	मृतकों के परिवार को देय अनुग्रह सहायता	रू0 50,000/-प्रति मृतक
(ब)	किसी अंग या आंख के बेकार हो जाने पर	रू0 25,000/- प्रति व्यक्ति(यह सहायता तभी अनुमन्य है जब अंग की अपंगता 40 प्रतिशत से अधिक हो तथा यह शासकीय चिकित्साधिकारी या शासन द्वारा अधिकृत चिकित्साधिकारी के पैनल द्वारा प्रमाणित हो।)
(स)	गंभीर चोट जिसके कारण एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में रूकने की आवश्यकता हो।	रू0 5,000/- प्रति व्यक्ति।
(द)	वृद्ध, अक्षम तथा निराश्रित एवं बच्चों को सहायता	प्रति व्यस्क रू0 20/- तथा प्रति बच्चा रू0 10/- प्रतिदिन।
(य)	जिन परिवारों के मकान बह गये/पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गये,उन्हें बर्तन तथा कपड़े के रूप में सहायता	प्रति परिवार रू0 500/- कपड़े हेतु तथा रू0 500/- वर्तन हेतु ।
(र)	आपदा के बाद तात्कालिक जीवन निर्वाह हेतु जरूरतमंद परिवारों के लिए अहैतुक सहायता। यह सहायता केवल उन्हीं को दी जाएगी जिनके समक्ष आपदा के कारण भोजन की समस्या उत्पन्न हो गयी हो और जिनके पास जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक संसाधन न हों।	प्रति व्यस्क रू0 20/- और प्रति बच्चा रू0 10/-प्रति दिन, केवल वस्तुओं में (आवश्यक सामाग्रियां जैसे-आंटा, खाद्यान्न, मिट्टी का तेल, सब्जियां, माचिस, नमक, खाद्य तेल आदि) अधिकतम 2 सप्ताह तक अथवा जैसी केन्द्रीय दल की संस्तुति हो।
2	अतिरिक्त पुष्टाहार	आई0सी0डी0एस0 के मानक के अनुसार रू0 1.05 प्रतिदिन प्रति इकाई।
3	लघु तथा सीमांत कृषकों को सहायता	
(अ)	डिसिल्टिंग आदि	नाबार्ड पैर्टन पर लघु तथा सीमान्त कृषकों को

(ब)	पर्वतीय क्षेत्रों में मलवा हटाने	क्रमशः 25 %तथा 33-1/3 % परन्तु अधिकतम रू0 5,000/- प्रति हेक्टेअर की सीमा तक।
(स)	मत्स्य फार्मो की डिसिल्टिंग/पुर्नस्थापना एवं मरम्मत हेतु	
(द)	कृषि निवेश अनुदान जहॉ फसलों की क्षति 50 % या उससे अधिक हो	
(i)	कृषि , उद्यान तथा वार्षिक फसलों के लिए	असिंचित क्षेत्र हेतु रू0 1,000/- प्रति हे0 तथा सिंचित क्षेत्र हेतु रू0 2,500/- प्रति हे0।
(i)ए	लगातार दूसरे वर्ष (वर्षानुवर्ष) गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति मेंलघु तथा सीमान्त कृषकों से भिन्न किसानों को कृषि निवेश अनुदान	रू0 1,000/- प्रति हे0 की दर से 2 हे0 प्रति कृषक की सीमा तक।
(ii)	बहुवर्षीय फसलोंके लिए	रू0 4,000 प्रति हे0।
(iii)	रेशम उत्पादक कृषकों को लिए अनुदान	मूंगा रेशम के लिए रू0 2,000 प्रति हे0 तथा एरी एवं मलवरी रेशम के लिए रू0 1,500 प्रति हे0।
य	नदी की धारा परिवर्तन, भू एवं हिम स्खलन से भूमि कटान हेतु	रू0 10,000/- प्रति हे0
4	रोजगार सृजन (रोजगार सृजन वाले विभिन्न प्लान स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि का उपयोग कर लेने के पश्चात् केवल अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए)	दैवी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन की वास्तविक मांग के आंकलन के आधार पर प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक इच्छुक व्यक्ति को माह में कम से कम 10 दिनों के लिए (उन क्षेत्रों में 15 दिवस जहॉ अन्य रोजगार सृजक परियोजनायें लागू नही हैं) काम दिया जाय। इन्हें राज्य सरकार द्वारा अप्रशिक्षित श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन के समान मजदूरी देय होगी, राहत निधि से योगदान 05 कि0ग्राम अनाज प्रतिदिन (एस0 जी0आर0वाई0-स्पेशल कम्पोनेन्ट) तथा रू0 15/-प्रति व्यक्ति (सी0 आर0 एफ0/एन0सी0सी0एफ0) तक सीमित होगा। न्यूनतम वेतन के भुगतान हेतु शेष धनराशि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी ।

5	लघु एवं सीमान्त कृषकों/कृषि मजदूरों को पशुपालन सहायता	
(अ)	दुधारू, बोझा ढोने वाले परिवहन से सम्बन्धित अथवा जीविकोपार्जन हेतु पाले गये पशु की मृत्यु पर सहायता	ग्राम्य विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित दर के अनुसार
(ब)	पशु कैम्प में चारे की व्यवस्था	बड़े पशुओं हेतु रू0 18/-प्रतिदिन तथा छोटे पशु हेतु रू0 09/- प्रतिदिन।
(स)	पशु कैम्पों में जलापूर्ति	प्रत्येक प्रकरण में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ।
(द)	दवाइयों और वैक्सिन पर अतिरिक्त व्यय (आपदा से सम्बन्धित आवश्यकताएं)	प्रत्येक प्रकरण में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ।
(य)	पशु कैम्पों के बाहर चारे की आपूर्ति	आपदा के कारण परिवहन पर हुए अतिरिक्त व्यय के समतुल्य राहत (प्रत्येक प्रकरण में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर)
(र)	उपयोगी पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने हेतु	सम्बन्धित राज्य सरकार के पशुधन तथा दुग्ध विभाग द्वारा विशिष्ट आंकलन के आधार पर योजना प्रस्तुत करने पर।
6	मछुआरों को सहायता	
(अ)	क्षतिग्रस्त जाल/नावों की मरम्मत पुनर्स्थापना हेतु	एस0जी0एस0वाइ0 पैर्टन के अनुसार प्रति परिवार के लिए निर्धारित अनुदान की दरों के अनुसार अनुदान अनुमन्य होगा।
	नाव	नाव की कीमत का निर्धारण भी एस0 जी0 एस0 वाई0 के अन्तर्गत अनुमोदित दरों के अनुसार किया जायेगा।
	सकरी नाव	
	लट्ठे (केटामेरान)	
	जाल	
(ब)	मछली बीज फार्म हेतु इनपुट सब्सिडी	रू0 2,000/- प्रति हे0।
7	हस्तकरघा सेक्टर के शिल्पियों के क्षतिग्रस्त औजारों की मरम्मत /बदलने हेतु सहायता	
(अ)	परम्परागत शिल्प	
(i)	क्षतिग्रस्त औजारों हेतु	रू0 1,000/- प्रति व्यक्ति
(ii)	कच्चे माल हेतु	रू0 1,000/- प्रति व्यक्ति

(ब)	हथकरघा बुनकरों के लिए	
(i)	हथकरघा से सम्बन्धित औजारों /उपकरणों की मरम्मत/बदलने हेतु	रू0 1,000/- प्रति करघा
(ii)	धागे व अन्य सामग्री की खरीद हेतु	रू0 1,000/- प्रति करघा
8	क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु सहायता	
(अ)	पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान (जहां मकान मरम्मत योग्य न हो और पुनर्निर्माण की आवश्यकता हो)	
(i)	पक्का मकान	रू0 10,000/- प्रति मकान
(ii)	कच्चा मकान	रू0 6,000/- प्रति मकान
(ब)	अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान	
(i)	पक्का मकान	रू0 2,000/- प्रति मकान
(ii)	कच्चा मकान	रू0 1200/- प्रति मकान
(स)	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान (जहां कम से कम 15 प्रतिशत क्षति हुई हो)	रू0 800/- प्रति मकान
9.	ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की आपात कालीन आपूर्ति	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के संदर्भ में केन्द्रीय दल के आंकलन पर /आपदा राहत निधि के संदर्भ में राज्य स्तरीय आपदा समिति के आंकलन पर ।
10	महामारी रोकने हेतु दवाइयां, कीटनाशक तथा विसंक्रामक की व्यवस्था हेतु	तदैव
11	पशुओं एवं मुर्गियों में महामारी रोकने हेतु दवाइयों की व्यवस्था	तदैव
12	प्रभावित /संभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने हेतु	तदैव
13	तात्कालिक सहायता/जीवन बचाने हेतु नाव किराये पर लेने की व्यवस्था	तदैव
14	प्रभावित /सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाये गये व्यक्तियों हेतु अस्थायी आवास /खाद्य/कपड़ा दवाइयां आदि	तदैव
15	आवश्यक वस्तुओं की वायुसेना द्वारा आपूर्ति हेतु	तदैव

16	यातायात, विद्युत, जनस्वास्थ्य, पेयजल, बेसिक शिक्षा आदि से सम्बन्धित क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों एवं अवस्थापना की राहत एवं बचाव कार्य हेतु तत्कालिक मरम्मत/ पुनर्स्थापना ।	तदैव
17	क्षतिग्रस्त चिकित्सा उपकरणों तथा सरकारी अस्पताल /स्वास्थ्य केन्द्रों की बरबाद दवाइयों हेतु	तदैव
18	सचल चिकित्सा दल, अस्थयी अस्पतालों, अम्बुलेन्स सेवाओं के लिए ईधन (केवल पेट्रोल, आयल, लुब्रीकेन्टस)	तदैव
19	मलवे को हटाने में व्यय	तदैव
20	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जल निकास	तदैव
21	खोज एवं बचाव कार्यो में व्यय	तदैव
22	मानव एवं पशु लाशों का निस्तारण	तदैव
23	खोज एवं बचाव दल के राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय	आपदा राहत निधि से व्यय किया जायेगा।
24	खोज, बचाव तथा परिवहन उपकरणों पर व्यय, जिसमें प्रत्येक वर्ष आवंटन का 10% धनराशि आपदा राहत निधि से व्यय	राज्य स्तरीय आपदा समिति के अनुमोदन पर आपदा राहत निधि से व्यय।
25	सार्वजनिक उपयोग हेतु 4 डिजिट कोड टेलीफोन -1077 पर व्यय (बिना मीटर की काल के लिए)	आपदा राहत निधि से व्यय किया जायेगा।

(राकेश कुमार)
अनु सचिव।